Introduction

This is the proposed rule for sitting criteria for establishment of Brick Kilns in Uttar Pradesh to be notified under section 54(2) (Z) read with section 21(1) of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981).

The proposed rule has been sent to the State Government. Environment Department for further necessary action.

It is also being put on the Uttar Pradesh Pollution Control Board's Website (www.uppcb.com) for 30 days to invite comments and suggestions of all concerned Brick Kilns Owners, Grove/orchard holders and public at large.

Please send your comment on Board's website for consideration within aforesaid period.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2011 dated 2011

No. 2011
Dated Lucknow 2011

In exercise of the powers under section 54 (2) (z) read with section 21 (1) of the Air (Prevention And Control) of Pollution) Act, 1981 (Act no.14 of 1981) the Hon'ble Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution control Board is pleased to make the following rules with regard to the sitting criteria for establishment of new brick kilns in State of Uttar Pradesh:-

THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) RULES, 2011

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Brick kiln(Sitting Criteria For Establishment) Rules, 2011 — **Short title and Commencement**

   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Following distance criteria may be adopted for installing in a new brick kiln:

   (1) Brick kiln shall be established at least 500 m away from residential area having a minimum population of 100-150 people or 20 houses including both kachcha and pucca houses, 1.0 km from a residential area having a population more than 150 or more than 20 houses including both kachcha and pucca houses. However the distance from notified municipal area will be 5.0 km. — **Distance from residential area/ population**

   (2) The distance of brick kilns shall be atleast 1.0 km from the areas like registered hospital, school, public building, religious place or a place where flammable substances are stored. Brick kilns shall not be allowed with in a radius of 5.0 km in notified sensitive areas like Zoo, wild life sanctuary, historic monuments*, museum etc. — **Distance from Sensitive Areas**

   *In case of Taz Trapezium Zone (TTZ) area the directions / guidelines given by Hon'ble Supreme Court shall also be applicable besides the rule mentioned in these rules.

   (3) Brick kilns shall not be constructed within 200 m from the sides of railway tracks. — **Distance from Railway Track**

   (4) The brick kilns shall be constructed at least 300 m from National and State highway from the both sides of the road . — **Distance from National / State highways**

(5) Brick kiln shall be constructed at least 100 m away from the both sides of the main district road/PWD roads

Distance from PWD Road/ District Road

(6) The distance between two brick kilns shall not be less than 500 m to avoid clustering of brick kilns in an area if a new brick kiln is being installed.

Distance between two brick kilns

(7) Brick Kiln should not be allowed to install in the 'Buffer zone' of a notified fruit belt area as defined in 'The Uttar Pradesh Promotion and Protection of Fruit Trees (Regulation of Harmful Establishments And Housing Schemes) Act, 1985' and the restriction made by concerning competent authority or decision of Hon'ble court on case to case basis if any.

Distance from Mango/fruits Orchard

Distance from sides of mango orchard/Mixed fruits (mango and other) orchard (having at least 100 fruiting trees)/ joint nursery from brick kiln shall not be less than 800 m in each direction. The mentioned distances are applicable irrespective of the variety/type of fruit whose area individually or collectively should not be less than 2.5 acre.

Note: Distance will be measured from the chimney of the brick kiln to the first/nearest row of the tree of mango/fruit orchard towards the kiln.

3. The establishment of brick kiln can be under-taken only after obtaining prior "Consent to establish" under the provisions of section 25 of the Water (prevention & control of pollution) Act, 1974 and section 21 of the Air (prevention & control of pollution) Act, 1981 from the State Pollution Control Board.

Prior consent for establishment

4. The emission standards and Pollution Control System including height of Chimney for Brick Kilns as notified by Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India vide serial no. 74 of schedule I in Environment (Protection) Rules, 1986 in notification no. GSR 543 (E) dated 22nd July, 2009 (as amended) shall be applicable in case of Brick kilns.

Emission Standards

5. Local agro industrial wastes residue shall be used as internal fuel to replace coal eg. Cotton stalk, mustard

stalk etc.

6. The use of non-hazardous industrial waste such as stone dust, rice husk ash, red mud etc. shall be encouraged to be mixed with top soil.

7. Fly ash shall be used in brick molding in compliance of the notification(ad amended) issued under the provision of Environment (Protection) Act, 1986 to manufacture soil-fly ash brick.

8. Spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake (hazardous waste) etc. and other wastes such as plastic, rubber, lather etc. shall not be allowed as fuel in brick kiln.

9. Multi layer and multi storey green belt of 10 m width shall be constructed along the periphery of brick kiln leaving two 10 m wide gaps in the boundary for entry and exit of material and vehicles. A wall of 3 m height shall be constructed on the sides where land is not available for green belt development to prevent fugitive dust emission. For installation of brick kiln with green belt development, the minimum area required is 2.0 acre.

10. Lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design shall be installed for brick kiln to avoid the damage to stacks/chimney caused due to lighting attack.

Consent to operate before commissioning

11. To Start production that-is to operate brick kiln " the consent to operate" is required from the State Pollution Control Board under the provision of section 25 of the Water (Prevention & control of Pollution) Act, 1974 and section 21 of the Air (Prevention & control of Pollution) Act, 1981 besides the other mandatory requirement in any other laws viz. mining lease from District Administration, permission for firing from Zila Panchayat and no objection certificate/license if required, from Horticulture Department & Zila Parisad.

12. In Brick Kiln besides the above Good House Keeping practices including disposal of coal ash, provision of double wall around the kiln, proper layout, Brick lining of passage, use of properly graded coal, proper firing practices, protection from noise pollution and other measures should be followed by all Brick Kiln Owners.

Good House Keeping Practices

Note:

1. The above sitting criteria will be applicable to all Bulls Trench Kilns irrespective of their brick production capacity.

2. All the distances are in the above rules for installing a new brick kiln are from the stack of the brick kiln considering stack as the central point of the kiln to the outer periphery to orchid etc. or a human settlement (abadi).

3. The above rules are prepared based on the studies carried out by CBRI, Roorkee on Bulls Trench fixed chimney kiln installed with gravitational settling chamber as pollution control device, existing guidelines of Jila Panchayat (UP), drafted guide lines of CPCB, Delhi (COINDS/16/1995-96) and guidelines recommended by Central Institute for Sub-Tropical Horticulture, Lucknow.

By order,
Dr. J.B. Sinha
Sachiv.

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4 खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, 2011

उत्तर प्रदेश सरकार

पर्यावरण अनुभाग

संख्या 2001

लखनऊ 2011

अधिसूचना

प0आ0

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम सं0 14 सन् 1981) की धारा 54 (2) (जेड) सपठित धारा 21 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् उ0 प्र0 राज्य में स्थापित होने वाले नये ईंट भट्टों के संबंध में स्थल मापदण्ड हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2011

1. 1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2011 कही जाएगी। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

   2. यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

2. नये ईंट भट्ठा की स्थापना में दूरी सम्बन्धी निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाएंगेः–

   (1.) ईंट भट्ठे उन रिहायशी क्षेत्रों से कम से कम 500 मी0 दूर स्थापित किये जाये, जिनकी जनसंख्या 100–150 व्यक्ति हो या जिसमें कम से कम 20 कच्चे या पक्के घर हों। ईंट भट्ठे उन रिहायशी क्षेत्रों से कम से कम एक किमी दूर हो, जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्ति से अधिक हो तथा जिसमें 20 से अधिक कच्चे या पक्के घर हों। नोटिफाइड म्यूनिसिपल क्षेत्र से ईट भट्ठों की दूरी कम से कम 5 किमी होनी चाहिये। **रिहायशी क्षेत्र / आबादी से दूरी**

   (2.) रजिस्टर्ड अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थान अथवा ऐसा स्थान जहाँ ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया जाता है ऐसे स्थानों से कम से कम एक किमी की दूरी पर ईट भटठे स्थापित किये जायें। **संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी**

नोटिफाईड सवेदनशील क्षेत्र जैसे प्राणि उद्यान वन्य जीवन, सेंच्युरी, ऐतिहासिक इमारतें* एवं म्यूज़ियम के पाँच किमी की परिधि में ईट भटठों की स्थापना को स्वीकृति नही दी जायेगी।

* ताज ट्रपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र के मामले में इस नियमावली के नियमों के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन भी लागू होंगे।

(3.) रेलवे लाइन में रेलवे ट्रैक के किनारे से 200 मी की दूरी तक ईट भट्ठे स्थापित नहीं किये जायेंगे। **रेलवे लाइन से दूरी**

(4.) राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजमार्ग के दोनों किनारों से कम से कम 300 मी0 की दूरी पर ईंट भट्ठे स्थापित किये जायेंगें। **राष्ट्रीय/प्रदेशिक राजमार्ग से दूरी**

(5.) मुख्य जिला सड़क एवं पी. डब्लू. डी. सड़क के दोनों किनारों से 100 मी0 की दूरी पर ईट भट्ठे स्थापित किये जायेंगें। **पी.डब्लू.डी. सड़क ज़िला सड़क से दूरी**

(6.) यदि कोई नया ईट भटठा स्थापित किया जा रहा हो तो दो ईट भटठों के बीच की दूरी 500 मी0 से कम न हो ताकि एक ही क्षेत्र में ईट भट्ठों का बाहुल्य ना हो जाये। **दो ईट भट्ठों के बीच की दूरी**

(7.) अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' जैसा कि दि उत्तर प्रदेश प्रमोशन एण्ड प्रोटेक्शन आफ फ्रूट ट्रीज (रेगूलेशन आफ हार्रमफुल इस्टैबलिशमेन्ट्स एण्ड हाउसिंग स्कीम्स) एक्ट, 1985, में परिभाषित है, में ईट भट्ठों की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी तथा विभिन्न प्रकरणों पर सक्षम प्रधिकारी द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर विचार किया जायेगा। **आम/फलों के बगीचों से दूरी**

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों)/ज्वाइंट नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठे हर दिशा में कम से कम 800 मी0 की दूरी पर हो। उपरोक्त वर्णित दूरी किसी भी प्रकार के फलों के बगीचे पर लागू होगी जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड हो।

नोट– यह दूरियां ईंट भट्टे की चिमनी से आम/फलदार बगीचों के पेड़/पौधों की प्रथम/नजदीकी पंक्ति जो बाग की ओर हो, से मापी जायेगी।

3. ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत '' स्थापना हेतु सहमति'' प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी। **स्थापना हेतु पूर्व सहमति**

4. पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ईंट भट्ठों के लिये अधिसूचित उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रिया जिसमें चिमनी की ऊचांई सम्मिलित है, जो अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 543 (अ) दि0 22 जुलाई, 2009 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची–I में क्रम 74 पर अधिसूचित है (यथासंशोधित **उत्सर्जन मानक**

ईंट भट्ठों पर लागू होंगे।

5. आन्तरिक ईधन के रूप में कोयले के स्थान पर, स्थानीय कृषि औद्योगिक वेस्ट अवशेष जैसे कपास या सरसों की डन्ठल को ईधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

6. ऐसे औद्योगिक वेस्ट, जो परिसंकटमय न हो, जैसे पत्थर धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड इत्यादि को ऊपरी मिट्टी में मिलाये जाने को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी किये गये नोटिफिकेशन (यथासंशोधित) के आधार पर फ्लाई ऐश का ईट की मोल्डिंग में उपयोग करके मिट्टी फ्लाई ऐश ईट बनायी जायेगी।

8. स्पेन्ट आरगैनिक साल्वेंन्ट, तैलीय अवशेष, पेन्ट कोक बोतल, फिल्टर प्रेस केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि तथा अन्य वेस्ट जैसे प्लास्टिक, रबर, चमड़ा आदि भट्ठे में ईधन के रूप में स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

9. ईट भट्ठे की परिधि के किनारे वृक्षों की 10 मी0 चौडी बहु सतही एवं बहु मंजिली हरित पट्टी बनायी जाये तथा ईट भट्ठे की चाहरदीवारी में बाहनों के प्रवेश एवम् निकासी के लिये 10 मी0 के दो खाली स्थान छोड़े जायें।

उन ईट भट्ठों में जहॉ हरित पट्टी बनाने के लिये स्थान नहीं है वहॉ 3 मी0 ऊॅचाई की दीवार बनायी जाये ताकि धूल का निकलना रोका जा सके। हरित पट्टी के साथ ईट भट्ठे की स्थापना के लिये कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगा।

10. ईट भट्ठे की स्टैक/चिमनी को आकाशीय बिजली से बचाने के लिये पी0डब्लू0डी0 के नियमों के अनुसार आकाशीय बिजलीरोधक लगाये जाने आवश्यक होंगे।

संचालन हेतु सहमति

11. उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत ''संचालन हेतु सहमति'' प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य नियमों के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत जैसे जिला प्रशासन से माइनिंग लीज, जिला पंचायत से फायरिंग हेतु अनुमति तथा उद्यान विभाग व जिला परिषद से, यदि आवश्यक हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाइसेन्स भी नियमानुसार प्राप्त किया जाना होगा।

समुचित रख–रखाव

12. ईंट भट्ठों में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठे के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ब्रिक लाइन पैसेज, उच्च ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थायें सम्मिलित हैं, भट्ठा स्वामियों द्वारा अपनाया जायेगा।

टिप्पणी–

1. उपर्युक्त मापदण्ड सभी बुल्स ट्रेन्च ईट भट्ठों पर लागू होगा चाहे उनकी ईट उत्पादन की क्षमता कुछ भी हो।
2. उपर्युक्त नियम में नये ईट भट्ठों की स्थापना में दूरी ईट भट्ठे के स्टैक में मध्य बिन्दु मानते हुये बगीचे की बाहरी परिधि अथवा आबादी की बाहरी परिधि तक मानी जायेगी।
3. उपर्युक्त नियम सी0बी0आर0आई0 रूडकी द्वारा बुल्स ट्रेन्च फिक्स चिमनी ईट भट्ठे जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिये ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर लगाये गये हों, के अध्ययन, जिला पंचायत (उ0प्र0) की वर्तमान मार्गदर्शिका, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका, दिल्ली (COINDS/16/1995-96) तथा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फार सब ट्रापिकल हार्टिकल्चर लखनऊ की मार्गदर्शिका पर आधारित है।

आज्ञा से,
डा0 जे0बी0 सिन्हा
सचिव